



## कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला-धार (म.प्र.)

deo.mpeddhr@mp.gov.in

धार, दिनांक :- ०५/०५/२०२४

### -:: आदेश ::-

धार जिले की कंपोजिट मंदिरा दुकान सरदारपुर पर आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त-सरदारपुर द्वारा दिनांक 22.04.2024 को शासन द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक दर पर मंदिरा विक्रय से संबंधित जाँच हेतु टेस्ट परचेसिंग की कार्यवाही की गई थी, जिसमें देशी मंदिरा प्लेन पाव (180 ML) 80/- रुपये में विक्रय किया जाना पाया गया, जो देशी मंदिरा प्लेन के निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य (MRP) 70 रुपये से 10/- (रुपये दस मात्र) अधिक है। आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त सरदारपुर द्वारा मंदिरा दुकान के निरीक्षण दौरान अनियमितता पाये जाने पर प्रकरण पी-8 क्रमांक 72 दिनांक 22.04.2024 पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार निर्धारित दर से अधिक विक्रय मूल्य पर मंदिरा का विक्रय सामान्य अनुज्ञित की शर्त XVI तथा लायसेंसी को जारी सहपठित अनुज्ञित एफ.सी.एल.-1 की शर्त क्रमांक XIV का उल्लंघन है एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-27 दिनांक 08 फरवरी 2024 की कंडिका 20.2 के अंतर्गत ट्रॅडनीय होकर गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

कंपोजिट मंदिरा दुकान सरदारपुर के अनुज्ञितधारी मेसर्स महांकाल वाईन शॉप एल.एल.पी., पार्टनर श्री पीयुष पिता विजय राय को इस प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1581, दिनांक 24/04/2024 जारी किया गया था, जिसके पालन में अनुज्ञितधारी द्वारा अपना उत्तर दिनांक 29.04.2024 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें लेख है कि कंपोजिट मंदिरा दुकान पर स्वीकृत अभिकर्ता कुछ देर के लिये कहीं गया हुआ था तथा दुकान पर अन्य हेल्पर उपस्थित था, जो पढ़ा लिखा नहीं होने एवं मंदिरा बिक्री रेट का जान नहीं होने के कारण उसने ग्राहक से देशी मंदिरा प्लेन के पाव की कीमत 70 रुपये के स्थान पर 80 रुपये ले लिये थे तथा घटना का उसी समय वृत्त के आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा हाई रेट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त घटना में प्रार्थी की कोई भूमिका या सहमति नहीं थी। तथा उक्त घटना उसे संदर्भित नोटिस के माध्यम से जात हुई थी, जिस पर उसके द्वारा दुकान संचालन में नियुक्त कर्मचारियों को मंदिरा का विक्रय निर्धारित दर पर करने की समझाइस दी गई है तथा भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने का भी लेख कर उपरोक्त कारणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त करते हुए उपरोक्त त्रुटि के लिये विभागीय फैसला चाहा गया है।

अतः उक्त प्रकरण में गंभीर अनियमितता स्पष्ट रूप से प्रमाणित होने से, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31 के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 27, दिनांक 08 फरवरी 2024 की कंडिका 20.2 के प्रावधानानुसार कंपोजिट मंदिरा दुकान धार क्रमांक-1 के लायसेंस को 01 दिवस दिनांक ०५/०५/२०२४ के लिये निलंबित किया जाता है तथा रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार) का शास्ति आरोपित की जाती है।

लायसेंस निलंबन अवधि में लायसेसी को न्यूनतम प्रत्याभूत इयूटी एवं वार्षिक लायसेंस फीस में किसी भी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी। इस निलंबन अवधि की देय न्यूनतम प्रत्याभूत इयूटी, वार्षिक लायसेंस फीस जमा करने का दायित्व अनुज्ञितधारी का होगा।

सर्व संबंधित इस आदेश का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रियंक मिश्रा)  
कलेक्टर,  
जिला-धार (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/आब/अप./2024/ 1742

धार, दिनांक 04/05/2024

प्रतिलिपि -

1. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश गवालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता इंदौर, संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक जिला आबकारी अधिकारी, मण्डल धार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्त सरदारपुर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, उक्त आदेश की प्रति संबंधित लायसेंसी को तामील कराकर तामीलशुदा प्रति सहायक आबकारी आयुक्त, धार के समक्ष प्रस्तुत करें तथा कंपोजिट मंदिरा दुकान सरदारपुर को दिनांक 05/05/2024 को बंद किया जाना सुनिश्चित करें।
6. कंपोजिट मंदिरा दुकान सरदारपुर, के लायसेंसी मेसर्स महांकाल वार्डन शॉप एल.एल.पी., पार्टनर श्री पीयुष पिता विजय राय, निवासी क्यू-4, रस बिहार कालोनी, झांसी (उ.प्र.) लायसेंसी एकल समूह धार DHR/F-1 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलामटर,

जिला-धार (म.प्र.)